4

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1130–दो/2009 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 3–7–2009 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्र0क0 207/2004–05 अपील

1– बनवारी सिंह पुत्र सुल्तान सिंह
2– महिला रजको पुत्री मातादीन
पत्नि कालीचरण कुर्मी ग्राम निसार
तहसील लहार जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्व

1– बालाप्रसाद पुत्र सुल्तान सिंह कुर्मी
2– दशरथ सिंह
3– सुरेन्द्र सिंह
तीनों ग्राम सकलपुर तहसील जौरा जिला मुरैना
4– रामकुमार कुर्मी सभी निवासी ग्राम निसार
तहसील लहार जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक / – 8 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 207/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 03–07–2009 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी व्दारा प्रकरण कमांक 27/1994–95 में पारित बटवारा आदेश दिनांक 20–11–95 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

अनुविभागीय अधिकारी लहार ने प्रकरण क्रमांक 105/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-8-2005 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 207/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-07-2009 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष क अभिभाषकों के तर्को पर तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों विचार किया गया। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 03-07-2009 के परिशीलन पर स्थिति यह है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 27/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 20-11-1995 से पक्षकारों के बीच सामिलाती भूमि का बटवारा किया है किन्तु सहायक बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष आवेदक क्रमांक 2 ने आवेदन देकर सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 20-11-1995 में त्रृटि सुधार की मांग की थी जिसका निरसकरण प्रकरण क्रमांक 13 बी 121/96-97 में पारित आदेश दिनांक 10-3-98 से हुआ है। इस आदेश के विरूद्व बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील हुई है जो प्रकरण क्रमांक 69/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-99 से अस्वीकार हुई है। बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड के आदेश दिनांक 31-12-99 के विरूद्व द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, बंदोवस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष हुई है जो प्रकरण क्रमांक 29/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 14-6-2001 से निराकृत हुई है । अपर आयुक्त, बंदोवस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर का आदेश दिनांक 14-6-2001 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम होकर Res-judicata का रूप लिये है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी लहार ने आदेश दिनांक 9-8-2005 से अपील अग्राह्य की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 207/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-07-2009 से अनुविभागीय अधिकारी लहार के आदेश दिनांक 9-8-05

में हस्तक्षेप नहीं किया है। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना का आदेश दिनांक 03–07–2009 बोलता हुआ आदेश (Speaking Order) है जिसमें हस्तक्षेप की गुॅंजाश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचनाके आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरसत की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 207/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 03–07–2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर